न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 10/2014 प्रार्थना पत्र 14(4)

आम जनता ग्राम साहुपाडा व मोतीपुरा तहसील बसवा जरिये

1.महादेव पुत्र रामकिशन
2.रामकिशोर पुत्र रामनिवास
3.बंशी पुत्र कल्याण
4.गंगासहाय पुत्र रामफूल
5.विश्राम पुत्र रामचन्दर

समस्त जाति गुर्जर निवासी साहूपाडा व मोतीपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1.पुष्पा देवी पत्नि कल्लू(कैप्टन)
2.राकेश पुत्र कल्लू(कैप्टन)

समस्त जाति सुनार निवासी जैन मन्दिर के पीछे वार्ड नं. 14 बांदीकुई जिला दौसा।

3.आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा।
4.तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम वास्ते निरस्त करने आवंटन दिनांक 17.05.1964 जिसके तहत अप्रार्थी संख्या 1 के पति कल्लूराम पुत्र जमनालाल जाति सुनार निवासी बांदीकुई को ग्राम साहुपाडा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 92 मिन में से 15 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 386/590 रकबा 0.57 है, खसरा नम्बर 387/589 रकबा 2.85 है. ग्राम मोतीपुरा बने है उक्त भूमि का आवंटन दिखाकर और उक्त आवंटन के आधार पर नामा. संख्या 68 ग्राम साहुपाडा दिनांक 13.05.73 ग्राम पंचायत पीचूपाडा कलां ने स्वीकार किया है)

उपस्थिति : श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री महावीर डोई अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित।

—:निर्णय:— दिनांकः 31.01.2025

संक्षिप्त में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से है कि खसरा नम्बर 92 ग्राम साहुपाडा से बने हाल खसरा नम्बर 386/590 रकबा 0.57 है. खसरा नम्बर 387/589 रकबा 2.85 है. वर्तमान में ग्राम मोतीपुरा में आ गया है। उक्त भूमि पानी के बहाव नदी के काम में आने वाली भूमि है। जिसमे वन विभाग द्वारा बबूल के हजारो पेड लगा रखे है। उक्त भूमि में कभी भी अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 एवं अप्रार्थी नम्बर 1 के पति ने काश्त नहीं की है तथा उक्त भूमि आम जनता के पशुओं को चराने के काम आती है। उक्त भूमि का अप्रार्थी नम्बर 1 के पति को कोई आवंटन नहीं किया गया है किन्तु राजस्व कर्मचारियों व अप्रार्थी नम्बर 1 के पति ने फर्जी तरीके से अप्रार्थी नम्बर 1 के पति को उक्त भूमि का आवंटन हुये बिना अप्रार्थी नम्बर 1 के पति को दिनांक 17.05.1964 का आवंटन दिखाकर नामान्तरकरण संख्या 68 भरकर गैर खातेदारी का नामान्तरकरण दिनांक 13.05.1973 को तस्दीक करा लिया। जिसकी प्रार्थीगण को कतई जानकारी नहीं थी। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवंटन दिनांक 17.05.1964 एवं उक्त आवंटन के आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तरकरण दिनांक 13.05.1973 एंव पट्टे को निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र 14(4) इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.05 17:07:13 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर डोई उपस्थित आये। अधिवक्तागण उभयपक्ष द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स कल्लूराम पुत्र जमनालाल जाति सुनार निवासी बांदीकुई को ग्राम साहुपाडा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 92 मिन में से 15 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 386/590 रकबा 0.57 है. खसरा नम्बर 387/589 रकबा 2.85 है. वाके ग्राम मोतीपुरा बने है, जिसका दिनांक 17.05.1964 दिखाकर उक्त आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 68 ग्राम साहुपाडा दिनांक 13.05.1973 को ग्राम पीचूपाडा कलां ने तस्दीक किया है। उक्त नामान्तरकरण में लिखे हुये आवंटन दिनांक 17.05.1964 के आधार पर कल्लूराम को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु कल्लूराम की मृत्यु हो जाने के कारण उसके वारिसान को पक्षकार बनाकर बिना नकल के यह प्रार्थना पत्र 14(4) इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 68 ग्राम साहुपाडा पर लिखी हुई उक्त आवंटन आदेश की नकल लेने हेतु काफी प्रयास किये गये किन्तु नकल नहीं मिली। न्यायालय द्वारा भी उक्त आवंटन की पत्रावली तलब करने पर उक्त आवंटन की पत्रावली नहीं आयी। इसलिये उक्त आवंटन आदेश दिनांक 17.05.1964 को निरस्त किया जाकर व उसके आधार पर खुले नामान्तरकरण को भी निरस्त किया जाकर वापिस सरकारी भूमि अंकित करवाया जाना न्यायोचित है। आवंटन आदेश दिनांक 17.05.1964 के आधार पर ग्राम पंचायत साहूपाडा को नामान्तरकरण खोलने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिये उक्त नामान्तरकरण वैसे भी अवैध, अमान्य व प्रभावशुन्य नामान्तरकरण है। उक्त भूमि पर कभी भी आवंटन से लेकर आज तक आवंटी या उसके वारिसान का कब्जा नहीं रहा है जो प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत गिरदावरियों की नकल से स्पष्ट है। प्रार्थीगण ने काफी वर्षो की गिरदावरियों की नकल पेश की है जिसमे उक्त भूमि को पडत दिखा रखी है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि उक्त भूमि पर कभी भी आवंटी या उसके वारिसान का कब्जा नहीं रहा है। यदि उक्त भूमि पर यदि आवंटी या उसके वारिसान का कब्जा होता तो उसे उक्त भूमि की खातेदारी मिल जाती लेकिन उक्त भूमि की अभी तक भी आवंटी को खातेदारी नहीं मिली है। उक्त भूमि पानी के बहाव नदी के काम आने वाली भूमि है जिसमे वन विभाग द्वारा बबूल के हजारो पेड लगा रखे है। उक्त भूमि में कभी भी काश्त नहीं हुई है। कानूनन पानी के बहाव, नदी के काम आने वाली भूमि एवं वन विभाग के काम में आने वाली भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार बसवा ने दिनांक 3.9.2016 को मौका पर्चा बनाकर प्रस्तुत किया है जो पत्रावली में शामिल है जिसमे आवंटी का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, खाली पडी हुई है जिस पर पुराने बडे बडे पेड खडे हुये होना बताया है। उक्त भूमि पर वन विभाग द्वारा भी समय–समय पर वन प्लान्टेशन किया गया है और आवंटी ने उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी बांदीकुई ने दिनांक 25.03.2014 को पत्र क्रमांक 139 के जरिये लिखित में दिया है कि बाणगंगा नदी क्षेत्र में वन विभाग द्वारा वर्ष 1990–91 में पौधरोपण कार्य किया गया था जिसमे खसरा नम्बर 386/590, 387/589, 387/594 में पौधो की स्थिति अच्छी है तथा वर्तमान में हजारो की संख्या में बबूल के पेड खडे है। वन सुरक्षा समिति साहूपाडा द्वारा पौधो की सुरक्षा का कार्य किया जा रहा है। विभागीय कर्मचारियों द्वारा भी सुरक्षा में सहयोग किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि उक्त आवंटन गलत तरीके से मिलीभगत करके किया गया है। इसका प्रमाण यह भी है कि उक्त आवंटन की पत्रावली को मिलीभगत करके गायब कर दिया गया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स मंजूर फरमाकर उक्त आवंटन आदेश को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण ने उक्त आवंटन आदेश दिनांक 17.05.1964 के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि 59 वर्ष बाद गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। खसरा नम्बर 92 मिन में से 15 बीघा भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 386/590 व 387/588 [illegible] विधिवत रूप से आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वज कल्लूराम पुत्र जमनालाल सुनार को आवंटित की गई थी जो आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत रूप से आवंटन की गई है। उक्त भूमि न तो नदी बहाव की भूमि है और न ही वन विभाग की भूमि है बल्कि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक भूमि थी व सिवायचक भूमि का ही विधिवत रूप से आवंटन किया गया है व आवंटन के बाद से ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वज कल्लूराम का कब्जा चला

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.05 17:07:15 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आ रहा है तथा आज दिन भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का ही कब्जा है। यह आवंटन विधिवत रूप से नियमानुसार मजमे आम में किया गया है तथा आवंटन कमेटी द्वारा नियमों के अनुसार ही मजमे आम में आवंटन की कार्यवाही की गई है। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 17.05.1964 के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पूर्वज कल्लूराम पुत्र जमनालाल के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 68 दिनांक 13.05.1973 भी तस्दीक किया जा चुका है। प्रार्थीगण का उक्त विवादित भूमि से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने महज परेशान करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। है। इसलिये प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत करने के भी अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण न तो आम जनता के लोग है ना ही उन्हें किसी प्रकार के उजरात पेश करने का अधिकार है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) में आवंटन आदेश दिनांक 17.05.1964 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसकी प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। हमारे पास उक्त आवंटन आदेश दिनांक 17.05.1964 की छायाप्रति मौजूद है जो की पत्रावली में प्रस्तुत कर दी गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र 14(4) चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 17.05.1964 को अप्रार्थी संख्या 1 के पति कल्लूराम पुत्र जमनालाल जाति सुनार निवासी बांदीकुई के हक में किया गया हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त आवंटन आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। जमाबंदी संवत 2055 से 2062 में ग्राम मोतीपुरा तहसील बसवा की गिरदावरी में कल्लू पुत्र जमना सुनार साकिन बांदीकुई गैर खातेदार दर्ज है तथा गिरदावरी संवत 2063 से 2070 तक में पुष्पा देवी बेवा कल्लू ,राकेश पुत्र कल्लू कोम सुनार साकिन बांदीकुई गैर खातेदार दर्ज हैं। जिससे स्पष्ट होता हैं कि प्रश्नगत भूमि कल्लूराम पुत्र जमनालाल को आवटंन होने के पश्चात उसकी पत्नी पुष्पा तथा पुत्र राकेश के नाम गैर खातेदार दर्ज हुई हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि नदी के बहाव अथवा वन विभाग की भूमि होने संबंधित कोई प्रमाणित दस्जावेज भी पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थीगण द्वारा 1964 में किये गये आवंटन के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 14(4) वर्ष 2014 में पेश किया गया हैं इतनी लम्बी अवधि के पश्चात् प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत किये जाने का कोई उचित कारण भी नहीं बताया गया हैं। प्रार्थीगण द्वारा स्वयं के लिए कोई अनुतोष भी नहीं चाहा गया हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) अन्तर्गत आवंटन नियम खारिज किया जाता है। मूल नामान्तरकरण अभिलेख मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.05 17:07:15 IST
Reason: SelfAttested